

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1972

एस० आ० 282(अ)—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के० शिवराज, संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को श्री के० नारायणन, सेवा निवृत्त के स्थान पर अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० आ० 1618 तारीख 11 अप्रैल 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मव (1) और तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

- (1) श्री के० शिवराज, संयुक्त सचिव,  
नौवहन और परिवहन मंत्रालय  
भारत सरकार—अध्यक्ष

[सं० 23-टी(11)/67]

जी० सी० बवेजा, संयुक्त सचिव ।

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १९८]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल १२, १९७२/चैत्र २३, १८९४

No. 198]

NEW DELHI WEDNESDAY, APRIL 12 1972/CHAITRA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Internal Trade)

(Directorate General Civil Supplies)

ORDER

*New Delhi, the 12th April, 1972*

**S.O. 283(E)**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Order, 1970 namely:—

1. This Order may be called the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Amendment Order, 1972.

2. In clause 2 of the Copper (Prohibition of Use in the Manufacture of Electrical Cables and Wires) Order, 1970 (hereinafter referred to as the said Order) sub-clause (a) shall be omitted.

3. In sub-clause (2) of the clause 3 of said Order, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

“(ii) in the manufacture of any electrical cables and wires for the purpose of exports which are covered by firm orders and backed by such payment terms as are for the time being allowed by the Reserve Bank of India.”

4. For the Schedule to the said Order, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE  
[See clause 3(2)]

| Sl. No. | Description of Electrical Cables and Wires.                                                                                                                                | Conditions of manufacture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1       | Bare Copper conductor other than strips                                                                                                                                    | With the permission of the Director General of Technical Development.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2       | Bare copper strips required in the manufacture of Transformers, Motors, Generators, Capacitors, Rectifiers, Instruments/Meters, Switchgears, Control gear and Commutators. | Against orders placed directly on the manufacturers by firms registered with the Director General of Technical Development or State Director of Industries for the manufacture of Transformers, Motors, Generators, Capacitors, Rectifiers, Instruments/Meters, Switchgears, Control gears and Commutators State Electricity Board subject to the condition that copper is supplied by them. |
| 3       | Enamelled Winding Wires and Strips.                                                                                                                                        | Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4       | Cotton, Silk, Paper, Fibre, Plastics covered winding wires and strips.                                                                                                     | Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5       | Tinsel Wire . . . . .                                                                                                                                                      | Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6       | Tinned Copper Wires including fuse wires.                                                                                                                                  | Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7       | Mining Cables (Copper conductor paper insulated lead sheathed; . . . . .)                                                                                                  | (a) Against orders placed directly on the manufacture by Directorate General of Supplies and Disposal and public sector corporations engaged in mining Atomic Energy Commission.<br>(b) Against orders from others certified by the Director General, Mines safety, Dhanbad, as for bonafide use in mines.                                                                                   |
| 8       | Earthing braids, Braided tinned copper wires for carbon brushes.                                                                                                           | Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9       | Railway Signalling Cable with or without screening by aluminium wires.                                                                                                     | Against specific orders placed directly on the manufacturer by Directorate General of Supplies and Disposal or Railway or orders placed under certificate from the Railways for specific contracts awarded for the installation of Railway signalling equipments and quantity certified by Railways.                                                                                         |
| 10      | Grooved Contact Wires, Catenary Wires, Dropper Wires, Jumper Wires, locking wire and feeder wire.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11      | Coupling cables for Railways . . . . .                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12      | Control Cables (IS: 1554—Part I—1964) (Armoured or unarmoured with minimum 4 cores)                                                                                        | Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13      | Rubber insulated cables for mines (IS: 4817-1968)                                                                                                                          | Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14      | Panel wiring and instrument wire cables (IS: 694 Pt. I)                                                                                                                    | Nil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | (a) Copper conductor—PVC insulated single core sheathed (single solid conductor diameters 2.24 mm and 2.8 mm.)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1  | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (b) Copper conductor PVC insulated, 1, 2, and 3 cores sheathed or unsheathed cables with conducting diameters from 0.5 to 2 mm. | Against specific orders placed directly on the manufacturer by.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                                                 | (i) The State Electricity Undertakings with the approval of the Chairman of the Electricity Board.<br>(ii) Other Electricity Undertakings sponsored and approved by the Central Water and Power Commission.<br>(iii) Against orders placed directly on the manufacturers by firms registered with the Directorate General of Technical Development or State Directors of Industries for the manufacture of Transformers, Motors, Generators, Capacitors, Rectifiers, Instruments, Meters, Switchgears, Control-gears and Commutators subject to the condition that copper is supplied by them or with the permission of Directorate General of Technical Development if no copper is supplied. |
| 15 | Switchboard cables and wires.                                                                                                   | Against orders placed on the manufacture by Directorate General of Supplies and Disposals, Posts and Telegraphs or M/s. Indian Telephone Industries, Defence and Defence Industrial Establishments/Corporations, Railways, Hindustan Teleprinters and Public Sector Undertakings of State and Central Governments or orders placed under certificate from the Posts and Telegraphs for specific contracts awarded for the installation of Posts and Telegraphs telephone system and quantity certified by Posts and Telegraphs.                                                                                                                                                                |
| 16 | Jumper Wire PVC                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | Wire PVC (S/WS—IIIA)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | Signalling cables                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | Cables leading in                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20 | Cable carrier twin                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | PVC drop wire                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 | Cable house wiring PVC                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | Cable Aerial self-supporting combined                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | Cable Polythene twin screen for use in subscribers telephone network                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25 | Paper insulated lead/aluminium sheathed telephone cables                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26 | Coiled Coil Core and other Cordages and telephone cables                                                                        | PVC insulated PVC, sheathed switchboard cables for telephone communications of not less than 5 pairs can be manufactured against specific order placed directly on the manufacturers by users other than Government organisations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27 | Dry core cables—Paper insulated for Communication                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28 | Coaxial Cable for communications                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | Field Cables Tested                                                                                                             | Against orders placed on the manufacturer by Defence or Directorate General of Supplies and Disposals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | Airport Lighting Cables                                                                                                         | Against specific orders placed on the manufacturer by Directorate General of Supplies & Disposals, Civil Aviation or the Ministry of Defence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 | Ship wiring cables to specifications                                                                                            | Against orders placed on the manufacturer by:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | (i) B.S. 883                                                                                                                    | (i) Directorate General of Supplies and Disposals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | (ii) SES. 16, 17, 21                                                                                                            | (ii) Mazagon Docks Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | (iii) IS: 484 (Part I—1964)                                                                                                     | (iii) Garden Reach Workshop Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | (iv) Other types of cables                                                                                                      | (iv) Hindustan Shipyard Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                                                                                                                 | (v) Cables of types required by Indian Naval Ships and other Naval Establishments including Naval projects, Vizagapatnam provided the end use is certified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

1

2

3

by the Director of Production and Inspection (Naval) or the Director General of Naval Project and certificates issued that the cables are required with copper conductor and these cables are designed exclusively for Naval Establishment.

(vi) Cable of types required by Indian Navy provided the end-use is certified by the Admiral, Superintendent, Naval Dockyard, Bombay.

32 Flexible Cables including Microphone Cables not otherwise specified, with individual strand not more than 0.3 mm diameter.

Nil

33 Automobile Cables to ISI Specification 2465 (1965)

Nil

34 High frequency and PTFE Teflon Insulated Cables.

Against orders placed on the manufacturer by Directorate General of Supplies & Disposals, Posts & Telegraphs, or M/s. Indian Telephone Industries, Defence and Defence Industrial Establishments Corporations, Hindustan Teleprinters and Public Sector Undertakings of State and Central Government.

35 Other types of Cables not specified above .

With permission from the Directorate General of Technical Development. Request for permission should be accompanied by the following data namely:—

- (a) Description of cable along with specifications like, No. of cores, No. of Strands, Diameter of each Strand Voltage rating, Type of covering etc., with relevant ISI Specifications, quantity required in meters.
- (b) Quantity consumed during the last 12 months period right upto the date of application as certified by a Chartered Accountant.
- (c) Specific and use for which cables are required.

**NOTE:** Where orders for specific types of cables and wires are required by this Schedule to be placed on the manufacturers of cables and wires by Directorate General of Supplies & Disposal, Posts and Telegraphs and Railways, such manufacturer may, if he is registered with the Directorate General of Technical Development, pass on a part of the order so received to a small scale unit for compliance, subject to the conditions that:

- (a) the small scale unit is registered with the State Director of Industries;
- (b) the identity of the small scale unit is disclosed to Directorate General of Supplies and Disposals, Posts and Telegraphs or the Railways as the case may be while submitting tender;
- (c) the quantity to be supplied by the small scale unit is specified; and
- (d) Copper allotted to the tenderers by the Directorate General of Technical Development is not loaned, sold or mortgaged or given in any other manner to the small scale unit concerned.

**औद्योगिक विकास मंत्रालय**  
**(प्रांतरिक व्यापार विभाग)**  
**(सिविल प्रवाय महानिवेशालय)**

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1972

का० आ० 283(अ) —आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार तांबा, (वैद्युत केबलों और तारों के विनिर्माण में प्रयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1970 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है; अर्थात् :—

- (1) यह आदेश तांबा (वैद्युत केबलों और तारों के विनिर्माण में प्रयोग का प्रतिषेध) संशोधन आदेश, 1972 कहा जा सकेगा।
- (2) तांबा (वैद्युत केबलों और तारों के विनिर्माण में प्रयोग का प्रतिषेध) आदेश, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 2 का उपखण्ड (क) लुप्त कर दिया जायेगा।
- (3) उक्त आदेश के खंड 3 के उपखंड (2) में मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात् :—  
 (2) “ऐसे नियतों के प्रयोजनों के लिए जो फर्मों के आईरो पर किए जाएं और संदाय संबंधी ऐसे निबन्धनों के अनुसार हों जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञापन किए जायें, वैद्युत केबलों और तारों के विनिर्माण में।”
- (4) उक्त आदेश की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी। अर्थात् :—

अनुसूची

(खंड 3(2) देखिए)

| क्रम संख्या | वैद्युत केबलों और तारों का वर्णन                                                                                                                                | विनिर्माण की शर्तें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.          | पत्तियों से भिन्न नंगे ताम्र संवाहक                                                                                                                             | तकनीकी विकास महानिदेशक की अनुज्ञा से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.          | नंगी तांबे की पत्तियां जो ट्रांसफार्मर, मोटर, जनित्र, कैपेसिटर, रेक्टिफायर, उपकरण, मीटर, स्विच गियर, कंट्रोल गियर और कम्प्यूटेटर के विनिर्माण में अपेक्षित हों, | उन फर्मों के द्वारा जो ट्रांसफार्मर, मोटर, जनित्र, कैपेसिटर, स्विच गियर कंट्रोल गियर, रेक्टिफायर, उपकरण मीटर और कम्प्यूटेटर के विनिर्माण के लिए तकनीकी विकास महानिदेशक या राज्य के उद्योग निवेशक के पास रजिस्ट्रीकृत हों तथा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस शर्त के अध्वधीन कि उन्हें तांबे का प्रदाय उनके द्वारा किया जाता है, विनिर्माताओं को सीधे ही दिए गए आईरो पर। |

1

2

3

3. इनेमलित कुंडलन तार और पत्तियां
4. सत, रेशम कागज, फाइबर, प्लास्टिक से आवृत कुंडलन तार और पत्तियां
5. टिन्सल तार
6. कलईदार तांबे के तार जिनके अन्तर्गत पयूज तार भी है
7. खनन केबिल (ताम्र संवाहक कागज परिरक्षित चालक तार विद्युत रोधित)

कुछ नहीं

कुछ नहीं

कुछ नहीं

कुछ नहीं

- (क) उन आर्डरों पर जो पू० तथा व्य० म० नि० द्वारा और खनन में लगे हुए पब्लिक सैक्टर निगमों तथा परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा सीधे विनिर्माताओं को दिए जाते हैं ;
- (ख) दूसरों से प्राप्त ऐसे आर्डरों पर जिनके आरे में खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद यह प्रमाणित करे कि वे खानों में वास्तविक प्रयोग के लिए हैं ।

8. अर्थिंग ब्रेडम, कार्बन ब्रुशों के लिए, ब्रैडिड कलईदार तांबे के तार

कुछ नहीं

9. रेल संकेतन केबिल जिस पर अल्यूमिनियम तारों का आवरण हो या न हो
10. खार्चिदार सम्पर्क तार, कैटिनरी तार, ड्रापर तार, जम्पर, तार, लौकिंग तार और फीडर तार
11. रेलों के लिए युग्मन केबिल
12. नियंत्रण केबिल (आई० एस० 1554—भाग 1—1964) (न्यूनतम 4 कोरों का कवचित या अकवचित)

पू० तथा व्य० म० नि० अथवा रेलवे अथवा द्वारा सीधे विनिर्माता को दिए गए विनिर्दिष्ट आर्डरों के अनुसार अथवा रेल संकेतन उपस्कर के प्रतिष्ठापन के लिए विनिर्दिष्ट संविदाओं के निमित्त रेल द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों के अधीन और रेल द्वारा प्रमाणित मात्रा में दिए गए आर्डरों के अनुसार ।

कुछ नहीं

13. खानों के लिए रबड़ विद्युत रोधी केबिल (आई० एस० : 4817—1968)

कुछ नहीं

14. पैनल वायरिंग और उपकरण तार केबिल (आई० एस० : 694 भाग 1)

(क) तांबा चालक—पीवीसी विद्युत रोधी एक कोर की परिरक्षित (एकल ठोस चालक व्यास 2.24 मि० मी० और 2.8 मि० मी०)

कुछ नहीं

(ख) तांबा चालक—पीवीसी विद्युत रोधी 1, 2 और 3 कोर के परिरक्षित या अपरिरक्षित केबिल जिनके चालक व्यास 5 से 2 मि० मी० तक के हों

निम्नलिखित द्वारा सीधे विनिर्माता को दिए गए विनिर्देश आर्डरों पर : —

(i) विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से राज्य विद्युत उपक्रम,

1

2

3

(ii) केन्द्रीय जल और शक्ति आयोग द्वारा आयोजित और अनुमोदित अन्य विद्युत उपक्रम,

(iii) उन फर्मों द्वारा जो ट्रांसफार्मर, मोटर, जनित, कंपेसिटर, रेक्टिफायर, उपकरण मीटर, स्विच गियर, कन्ट्रोल गियर और कम्प्यूटेटर के विनिर्माण के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय का राज्य के औद्योगिक निदेशक के पास रजिस्ट्रीकृत हों इस शर्त के अध्याधीन कि उन्हें तांबे का प्रदाय उन के द्वारा किया जाता है अथवा यदि तांबे का प्रदाय न किया जाए तो तकनीकी विकास महानिदेशक की अनुज्ञा से विनिर्माताओं को सीधे ही दिए गए आर्डरों पर ।

15. स्विच बोर्ड केबिल और तार
16. जम्पर तार पीवी सी
17. तार पीवीसी (एस डब्ल्यू एस-IIIक)
18. संकेतन केबिल
19. केबिल लीडिंग इन
20. केबिल कैरियर टिबन
21. पी वी सी ड्राप तार
22. केबिल हाउस वायरिंग पीवी सी
23. केबिल एरियल स्वावलम्बी संयुक्त
24. उपभोक्ताओं के सभी टेलीफोनों के प्रयोग के लिए केबिल पालीथीन टिबन स्क्रीन
25. कागज विद्युत रोधी सीमे अल्यूमिनियम से परिरक्षित टेलीफोन केबिल
26. कुंडलित कोयल डोरी तथा अन्य आलात (कोर्डेंज) और टेलीफोन केबिल

प० तथा व्य० म० नि० डाक और तार महानिदेशक अथवा मैसर्स भारतीय टेलीफोन उद्योग, रक्षा और रक्षा औद्योगिक स्थापन। निगम, रेल, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर और राज्य और केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विनिर्माताओं को दिए गए आर्डर से अथवा डाक और तार टेलीफोन प्रणाली के प्रतिष्ठापन के लिए विनिर्दिष्ट संविदाओं के लिए डाक और तार विभाग द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के अधीन दिए गए आर्डरों पर उतनी मात्रा में जितनी डाक और तार द्वारा प्रमाणित की गई हो ।

टेलीफोन संचार के लिए 5 जोड़ों से अन्यून के पी वी सी विद्युत रोधी, पी वी सी परिरक्षित स्विच बोर्ड केबिल उस विनिर्दिष्ट आर्डर पर विनिर्मित किए जा सकते हैं जो सरकारी संगठनों से भिन्न प्रयोक्ताओं द्वारा सीधे विनिर्माताओं को दिया जाए ।

27. शुष्क कोर केबिल-संचार के लिये कागज विद्युत-रोधी
28. संचार के लिये कोएक्सियल केबिल

| 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 29. ऐसे क्षेत्रीय केबिल जिनकी परीक्षा हो चुकी हो                                                                                                  | रक्षा अथवा पू० तथा व्य० म० नि० द्वारा विनिर्माताओं को दिए गए आर्डरों पर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 30. एयर पोर्ट प्रकाश केबिल                                                                                                                        | पू० तथा व्य० म० नि० सिविल विमानन या रक्षा मंत्रालय द्वारा विनिर्माताओं को दिए गए विनिर्दिष्ट आर्डर पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 31. विनिर्देशों के अनुसार जलपोत तार केबिल                                                                                                         | निम्नलिखित द्वारा विनिर्माताओं को दिए गए आर्डर पर :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| (i) बी० एस० 883                                                                                                                                   | (i) पू० तथा व्य० म० नि०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| (ii) एस० ई० एस० 16,17,21                                                                                                                          | (ii) माजगान डॉक्स लिमिटेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| (iii) आई०एस० :484(भाग 1-1964)                                                                                                                     | (iii) गार्डन रीथ वर्कशाप लिमिटेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| (iv) अन्य प्रकार के केबिल                                                                                                                         | (iv) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                   | (v) भारतीय नौसेना पोतो तथा नौसेना परियोजनाओं सहित अन्य नौसेना संस्थापन विजगापटनम द्वारा अपेक्षित प्रकार के केबिल, परन्तु यह तब तक जब कि उसका प्रयोग उत्पादन एवम निरीक्षण (नौसेना) निदेशक द्वारा अथवा नौसेना परियोजना महानिदेशक द्वारा प्रमाणित किया गया हो और इस आशय से प्रमाणपत्र जारी किए गए हों किताबों के चालकों सहित केबिलों की अपेक्षा है और ये केबिल एक मात्र नौसेना संस्थापनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। |   |
|                                                                                                                                                   | (vi) भारतीय नौसेना द्वारा अपेक्षित प्रकार के केबिल परन्तु यह तब जबकि उनका अन्तिम प्रयोग एडमिरल सुपरिटेन्डेंट नौसेना डोकयार्ड बम्बई द्वारा प्रमाणित किया गया हो।                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 32. नम्य केबिल जिनके अन्तर्गत ऐसे माइक्रोफोन केबिल हैं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, और जिनके अलग अलग घलयकों का व्यास 0.3 मि० मी० से अधिक न हो। | कुछ नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 33. आई० एस० आई० विनिर्दिष्ट 2465 (1965) वाले आटोमोबाइल केबिल                                                                                      | कुछ नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उच्च प्रीक्वेंसी के और पी०टी०एफ०ई० टैलीफोन के विद्युत रोधी केबिल | पू० तथा व्य० म० नि० डाक और तार महानिदेशक अथवा भारतीय टेलीफोन उद्योग रक्षा और रक्षा औद्योगिक संस्थापन निगम, हिन्दुस्तान टेलीप्रिटर और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विनिर्माता को दिए गए आर्डरों से।                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अन्य प्रकार के केबिल जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।         | तकनीकी विकास के महानिदेशक की अनुज्ञत से/अनुज्ञा की प्रार्थना के साथ निम्नलिखित विवरण भी भेजे जाने चाहिए, अर्थात्:—<br>(क) केबिलों का वर्णन ऐसे विनिर्देशों सहित जैसे कोर की संख्या वलयकों की संख्या प्रत्येक वलयक का व्यास बोल्टेज रेटिंग, आच्छादन का प्रकार आदि, आई० एस० आई० के सुसंगत विनिर्दिष्ट सहित मीटरों में अपेक्षित परिमाण सहित।<br>(ख) वह परिणाम जो आवदन की तारीख से पिछले 12 मास में उपभोग में लाई गई हों जैसे कि किसी चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित की गई हो।<br>(ग) केबिल किन अन्तिम प्रयोग-विशेष के लिये अपेक्षित है। |
| <b>टिप्पण :—</b> जहां कि विनिर्दिष्ट प्रकार केबिलों के और तारों के आर्डरों सम्बन्ध में इस अनुसूची द्वारा यह अपेक्षित है कि वे पू० तथा व्य० म० नि०, डाक और तार महानिदेशक और रेल द्वारा केबिलों और तारों के विनिर्माताओं को दिये जायेंगे वहां ऐसा विनिर्माता यदि वह तकनीकी विकास महानिदेशक के साथ रजिस्ट्रीकृत है तो इस प्रकार प्राप्त आर्डर का एक भाग आर्डर के अनुपालनार्थ किसी छोटे पैमाने के एकक को निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन भेज सकता है :—<br>(क) वह छोटे पैमाने का एकक राज्य के उद्योग निदेशक के पास रजिस्ट्रीकृत हो,<br>(ख) उस छोटे पैमाने के एकक का अभिज्ञान यथा स्थिति, पू० तथा व्य० म० नि०, डाक और तार महानिदेशक अथवा रेलवे को निविदा देते समय कराया जाये,<br>(ग) छोटे पैमाने के एकक द्वारा प्रदाय की जाने वाली मात्रा विनिर्दिष्ट की जाये और<br>(घ) तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा निविदाकार को आवंटित तांबा सम्बद्ध छोटे पैमाने की यूनिट को ऋण स्वरूप न दिया जाए, बेचा न जाए, बन्धक न किया जाए या अन्य किसी प्रकार से न दिया जाए। |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**S. O. 284(E)**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Electrical Cables and Wires (Control) Order, 1970, namely :—

1. This Order may be called the Electrical Cables and Wires (Control) Amendment Order, 1972.

2. In the Schedule to the Electrical Cables and Wire (Control) Order, 1970, in the Note Item (x) shall be omitted.

[No. F. 11/43/69-L.E.E.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

का० प्रा० 284(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केबिल और तार (नियंत्रण) आदेश, 1970 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है :—

- (1) यह आदेश वैद्युत केबिल और तार (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1972 कहा जा सकेगा ।
- (2) वैद्युत् केबिल और तार (नियंत्रण) आदेश, 1970 की अनुसूची में, टिप्पण में मद (1) लुप्त कर दी जाएगी ।

[सं० फा० 11/43/69-एल० ई०ई०/70]

भार० के० तलवार,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।